



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236279
CG-DL-E-03062022-236279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2473]
No. 2473]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2600(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सभी रबड़ और सभी पॉलीमरिक सामग्री तथा इसके घटकों से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगा होगा।

परंतु इस आदेश का कुछ भी निर्यात की माल या सामग्री पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

क्र.सं.	माल या सामग्री	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इंडस्ट्रियल और प्रोएक्टिव रबड़ नी एवं एंकल बूट्स	आईएस 5557: 2004	इंडस्ट्रियल और प्रोएक्टिवरबड़ नी एवंएंकल बूट्स – के लिए विनिर्देश
2.	रबड़ के बने गम बूट्स और एंकल बूट्स	आईएस 5557 (भाग 2): 2018	रबड़ के बने गम बूट्स और एंकल बूट्स: भाग 2 पेशेगत प्रयोजन
3.	मोल्डेड सॉलिड रबड़ सोल और हील्स	आईएस 5676: 1995	मोल्डेड सॉलिड रबड़ सोल और हील्सके लिए विनिर्देश
4.	सोल्स और हील्स के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्स	आईएस 6664: 1992	सोल्स और हील्स के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्सके लिए विनिर्देश
5.	सॉलिड पीवीसी सोल्स और हील्स	आईएस 6719: 1972	सॉलिड पीवीसी सोल्स और हील्सके लिए के लिए विनिर्देश
6.	पीवीसी सेंडेल	आईएस 6721: 1972	पीवीसी सेंडेलके लिए के लिए विनिर्देश
7.	रबड़ की हवाई चप्पल	आईएस 10702: 1992	रबड़ की हवाई चप्पल के लिए विनिर्देश
8.	स्लिपर, रबड़	आईएस 11544: 1986	स्लिपर, रबड़ के लिए विनिर्देश
9.	पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्स	आईएस 12254: 1993	पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्सके लिए विनिर्देश
10.	पॉलीयूरेथेन सोल, सेमीरिजिड	आईएस 13893: 1994	पॉलीयूरेथेन सोल,सेमीरिजिडके लिए विनिर्देश
11.	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्स	आईएस 13995: 1995	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्सके लिए विनिर्देश
12.	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवेयर- सामान्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लाइन्ड या अनलाइन्ड पॉलीयूरेथेन बूट्स	आईएस 16645: 2018	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवेयर- सामान्य औद्योगिकइस्तेमाल के लिए लाइन्ड या अनलाइन्ड पॉलीयूरेथेन बूट्सके लिए विनिर्देश
13.	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए फुटवेयर	आईएस 16994: 2018	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए फुटवेयर

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2600(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Footwear Made from all-Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2022.
(2) It shall come into force with effect from the 1st day of July, 2023.
2. **Compulsory use of Standard Mark.**— Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:
Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.
3. **Certification and enforcement authority.** – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sr. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Industrial and protective rubber knee and ankle boots	IS 5557: 2004	Industrial and protective rubber knee and ankle boots - Specification
2.	All rubber gum boots and ankle boots	IS 5557 (Part 2): 2018	All rubber gum boots and ankle boots: Part 2 occupational purposes
3.	Moulded solid rubber soles and heels	IS 5676: 1995	Moulded solid rubber soles and heels- Specification
4.	Rubber microcellular sheets for soles and heels	IS 6664: 1992	Rubber microcellular sheets for soles and heels- Specification
5.	Solid PVC soles and heels	IS 6719: 1972	Specification for solid PVC soles and heels
6.	PVC sandal	IS 6721: 1972	Specification for PVC sandal
7.	Rubber Hawaii Chappal	IS 10702: 1992	Rubber Hawaii Chappal- Specification
8.	Slipper, rubber	IS 11544: 1986	Specification for slipper, rubber
9.	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots	IS 12254: 1993	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots - Specification
10.	Polyurethane sole, semirigid	IS 13893: 1994	Polyurethane sole, semirigid- Specification
11.	Unlined moulded rubber boots	IS 13995: 1995	Unlined moulded rubber boots – Specification

12.	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use	IS 16645: 2018	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use- Specification
13.	Footwear for men and women for municipal scavenging work	IS 16994: 2018	Footwear for men and women for municipal scavenging work

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.